फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

जमनालाल पिता हेमराज जाट निवासी सोमरवालों का खेड़ा, तहसील राशमी वगैरा

बनाम

शान्ता राव पत्नि मोहन राव निवासी सोमरवालों का खेड़ा, तहसील राशमी वगैरा

प्रकरण संख्या 34/2022 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। ग्राम पंचायत में तलबीदा अभिलेख उपलब्ध नहीं होने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 2 की तामील शेष है। अधिवक्ता निगराकार ने प्रकरण प्रस्तुत करने के प्श्चात् से आदिनांक तक विपक्षी संख्या 2 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नही किया है जबकि नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु इन्हें पूर्व में कई बार निर्देशित किया है तथा पेशी दिनांक 08.02.2024 को अनुपस्थित रहने पर न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर प्रकरण खारिज करने की कार्यवाही की जावेगी फिर भी वे आज भी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए हैं तथा न ही विपक्षी संख्या 2 की तामील हेतु अब तक नोटिस प्रोसेस पेश किया है अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	